

बिहार सरकार
वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक- २८/१२/२००५

अधिसूचना संख्या- २७६५ भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार पेंशन नियमावली, १९५० में संशोधन करते हुए निम्नांकित नियम बनाते हैं, यथा :-

१. यह नियमावली बिहार पेंशन(संशोधन) नियमावली २००५ कही जायेगी ।
२. यह दिनांक-०१.०९.२००५ से प्रभावी होगी ।
३. उक्त नियम में:-

बिहार पेंशन नियमावली १९५० के नियम २ के नीचे निम्नलिखित उप नियम-२ (क) जोड़ा जायेगा:-

“२(क)- ये नियम राज्य सरकार के वैसे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे जिनकी नियुक्ति

दिनांक-०१.०९.२००५ या उसके पश्चात् हुई है ।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(के० एम० शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या- वि०(२७)पं०को०-५३/०४-२७६५ पटना दिनांक- २८/१२/२००५

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के० एम० शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या- वि०(२७)पं०को०-५३/०४-२७६५ पटना दिनांक- २८/१२/२००५

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक /निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा,पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/सभी समाहर्ता/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के० एम० शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या- वि०(२७)पं०को०-५३/०४-२७६५ पटना दिनांक- २८/१२/२००५

प्रतिलिपि- संयुक्त आयुक्त लेखा प्रशासन, पंत भवन, पटना/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के० एम० शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।